



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग मे अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के अभियुक्तों को मा० न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा 30,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 08.10.2014 समय 11.35 बजे दिन में अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर घातक हथियार से सुसज्जित होकर हत्या करके शव छिपा देने पर मु०अ०सं०- 996/2014 धारा-147, 148, 149, 302, 201 भादवि थाना पीपरपुर जनपद अमेठी पर पंजीकृत कराया गया था ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 21.05.2026 को माननीय न्यायालय एसजे-05 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्तों को **आजीवन कारावास व 30,000/- रु० अर्थदण्ड** की सजा सुनायी गयी । अभियुक्तों को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा ।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्तों को **आजीवनकारावास** ।
- अभियुक्तों को **30,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास** ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

- **मुसाहिब अली उर्फ मुसीबत पुत्र मो० नाजिम अली निवासी केसर पट्टी थाना पीपरपुर जनपद अमेठी**
- **अरविन्द सरोज उर्फ भैसे सरोज पुत्र वैरागी निवासी अमारी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ ।**



**एडीजीसी श्री संजय
कुमार सिंह**



**पैरोकार का० जगराम
यादव**

